

विधानसभा मतदान व्यवहार में अन्य द्वितीयक समूहों की भूमिका

डॉ. आर.पी. सिंह चौहन¹ and शिव कुमार सिंह²

सहायक प्राध्यापक भूगोल¹

शोध छात्र भूगोल²

संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :

भारतीय प्रजातंत्रीय देश में सरकार का निर्माण संसदीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं तथा बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार का गठन करते हैं। 'राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक महत्वपूर्ण उप-व्यवस्था है जो विशिष्ट रूप से लक्ष्य प्राप्ति का कार्य करती है, परन्तु साथ ही साथ यह किसी सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्यों को करने की क्षमता रखती है।'¹ इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक हित प्रमुख कारक के रूप में कियाशील रहता है। भारतीय समाज धर्म, जाति भाषा प्रजाति आदि दृष्टि से सम्पूर्ण भारत एकता और अखण्डता के आदर्श से अलंकृत है। परन्तु इसके वासियों के राजनीतिक हित, राजनीतिक चेतना एवं मतदान व्यवहार में बहुरंगी विविधता देखने को मिलती है। परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अस्मिता के लिए सम्पूर्ण भारत एकता की कड़ी में बैंधा हुआ है। भारत में 2004 के आम चुनावों में पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण के मतदाताओं की राजनीतिक प्रतिक्रिया में विरोधाभास देखने को मिलता है। इसी का विश्लेषण करने हेतु हमारा अध्ययन "मतदाताओं का मतदान व्यवहार" के माध्यम से यह प्रयास है कि उनको जनादेश और क्यों? दिया जाय।

मुख्य शब्द: विधानसभा, भौगोलिक, मतदान, व्यवहार, द्वितीयक, राजनीति आदि।

प्रस्तावना:

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य द्वितीयक समूह एवं संस्थाएँ श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, सन्दर्भ—समूह और जनसंचार आदि उल्लेखनीय हैं। जन—संचार तथा जन सम्पर्क के माध्यम (यथा रेडियो, टेलीविजन, समाचार—पत्र, पत्रिकाएँ आदि) राजनीतिक सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। जो कि आम लोगों के काफी नजदीकी साधन हैं। और मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है। इस प्रकार ये जन संचार के माध्यम मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे और भी राजनीतिक साधनों का उल्लेख किया गया है। राजनीतिक कारक मतदान आचरण सामाजिक—आर्थिक परिवेश के अतिरिक्त अनेक राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं। इसमें निम्नलिखित कारकों को रख सकते हैं :

दलीय नीतियों कुछ सीमा तक मतदान आचरण को प्रभावित करती हैं। एक निर्धन देश होने के कारण भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों की नीतियों गरीबी एवं अन्य प्रमुख सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित हैं तथा इन्हीं के आधार पर विभिन्न नारे लगाये जाते हैं और गरीब मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है।

मतदाताओं की राजनैतिक जागरूकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में आम जन की भागीदारी के दो तरीके हैं—प्रथम प्रत्यक्ष, द्वितीय अप्रत्यक्ष, सरकार में आम जन की प्रत्यक्ष भागीदारी का ज्वलंत उदाहरण स्विटजरलैण्ड है। जबकि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। भारत जैसे जनसंख्या वाले देश में आम जनता अपने प्रतिनिधियों



का चुनाव करती है। जो शासन संचालन का कार्य करती है। जनता द्वारा चुने गये ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बंधित होते हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र/आजाद प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित अवधि, सामान्यतः पाँच वर्ष के लिए होता है। भारतीय शासन पद्धति में सरकार गठन की जिम्मेदारी उसी दल को प्राप्त होती है जिस दल को सदन में बहुमत अथवा उसके सर्वाधिक सदस्य होते हैं।

राजनीतिक दल अपने अधिक से अधिक प्रतिनिधि को जिताने के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। राजनीतिक दलों की इन्हीं गतिविधियों से आम मतदाता उनके बारे में भी जानकारी रखता है। भारतीय मतदाता भी अपने राजनीतिक दलों के प्रति जागरूक हैं जिसका विवरण सारणी संख्या-1 में दिया जा रहा है।

मतदाताओं की राजनीतिक दलों के बारे में ज्ञान (सारणी संख्या-1)

क्रमांक	राजनीतिक दल का नाम	दलों के बारे में मतदाताओं के ज्ञान की प्रतिशतता
01	कॉग्रेस	100
02	भाजपा	100
03	सपा	100
04	बसपा	100
05	सीपीएम०	58
	अन्य (जनता दल) समता पार्टी, टी०डी०पी, रालोद अपना दल आदि	45

मतदाताओं के मतदान का आधार— (सारणी संख्या-2)

क्रमांक	मतदान का आधार	मतदाताओं की संख्या की प्रतिशतता
01	वे आपकी पार्टी में हैं।	28
02	वे सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य हों।	16
03	वे आपकी जाति के हैं।	01
04	वे आपके धर्म के हैं।	13
05	व्यक्तिगत सम्बन्ध हो।	05
	योग	63

मतदाताओं के वोट न देने के कारण पर उत्तरदाताओं की राय (सारणीसंख्या-3)

क्रमांक	वोट न देने के कारण पर मतदाताओं की राय	उत्तरदाताओं की संख्या का प्रतिशत
01	अपने वक्त का हर्जा क्यों करें।	2
02	भीड़—भाड़ में क्यों जायें।	2
03	वोट डालने से हमें क्या मिलता है।	8
04	सभी बेईमान हैं।	5
05	सभी भ्रष्ट हैं।	6
06	एक को वोट दे कर दूसरे से दुश्मनी क्यों लें।	0

07	हमारा निजीकाम किसी ने नहीं किया।	8
	योग	31

उपर्युक्त सारणी में उन मतदाताओं की संख्या है जो कि नेताओं की भ्रष्टनीति बेर्इमानी और अन्य कारणों की वजह से वोट देने का बहिष्कार कर देते हैं।

मतदाताओं का चुनाव चिन्हों के बारे में ज्ञान (सारणी संख्या-4)

क्रमांक	चुनाव चिन्ह	मतदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	हाथ का पंजा	100	100
02	कमल	100	100
03	साइकिल	100	100
04	हाँथी	100	100
05	हँसिया	100	100
06	हथौड़ा	43	43

2. दलीय संगठन- दलीय नीतियों के अतिरिक्त सुगठित दलीय संगठन भी मतदान आचरण को प्रभावित करता है। सुगठित दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा उन्हें दल को समर्थन देने के लिए समझाते हैं। जो दल सुगठित नहीं होते, उन्हें कुछ मतदाता समर्थन देने से हिचकते हैं। जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3. राजनीतिक प्रश्न- चुनाव जिन राजनीतिक प्रश्नों के (मुद्दों के) आधार पर लड़ा जाता है, वे भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 1977 के आम चुनाव में कॉग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण विरोधी दलों द्वारा आपातकालीन स्थिति की ज्यादतियों को चुनाव का एक मुद्दा बनाया जाना भी रहा है। 1989 के आम चुनाव में बोफोर्स कांड तथा 1991 के आम चुनाव में अयोध्या विवाद, तथा इस प्रकार के अन्य प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

4. दलीय प्रतिबद्धता- मतदान आचरण को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक दलीय प्रतिबद्धता एवं निष्ठा है। प्रत्येक दल के कुछ ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं जो स्वयं दलीय उम्मीदवारों को मत देते हैं तथा अन्य मतदाताओं को भी दलीय समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

5. स्थानीय सत्ता संरचना- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का संचालन जिन राजनीतिक दलों द्वारा होता है वे स्थानीय मतदाताओं को प्रभावित करने में अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं। स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। और अपने पक्ष में मत प्राप्त कर सकते हैं।

6. चमत्कारी दलीय नेतृत्व- मतदान आचरण को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक चमत्कारी दलीय नेतृत्व है। पंजाब जवाहर लाल नेहरू एवं इन्दिरा गांधी को चमत्कारी नेता माना जाता है क्योंकि उनमें अद्भुत दलीय नेतृत्व का गुण था। मतदाता कॉग्रेस पार्टी को इसलिए मत नहीं देते रहे हैं, कि वह कॉग्रेस पार्टी है, अपितु इसलिए कि उस पार्टी का नेतृत्व एक चमत्कारी नेता के हाथ में रहा है, जो प्रधानमंत्री के रूप में देश को एक सफल नेतृत्व प्रदान करने में काफी सीमा तक सफल रहा है।

उपर्युक्त कारकों में से कोई एक कारक स्वयं में मतदान आचरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि बहुधा इनमें से अनेक कारक सामूहिक रूप से मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विभिन्न कारकों के एक-दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण ही मतदान व्यवहार का विश्लेषण करना एक अत्यंत कठिन कार्य माना जाता है।

भारत जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनमत का निर्णायक प्रभाव होता है। जनता अपने पसन्द की सरकार का चुनाव करती है। जो संघर्ष की प्रक्रिया को कम करके सहयोग के साथ विकास पर बल देती है। यह जनमत सर्वाधिक संख्या के आधार पर



सरकार का निर्माण करती है। जनमत मुद्दों और नीति से प्रभावित होता रहता है, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के भविष्यों का निर्माण होता रहता है।

जनमत के महत्वपूर्ण कारक: मतदाताओं की राजनीतिक चेतना और उनका मतदान व्यवहार जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। जनमत का शाब्दिक अर्थ 'जनता का मत' है जो कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि राज्य और समाज की सुव्यवस्था और शान्त वातावरण के लिए जनता का मतैक्य होना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के स्वाधीनता घोषणा पत्र (1776) तथा फ्रॉस की राज्य कान्ति (1789) के फलस्वरूप जनमत एक सशक्त माध्यम माना जाने लगा है। सुसंगठित समूहों के प्रादुर्भाव एवं औद्योगिक क्रान्ति ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है।

जिन्सबर्ग के अनुसार, "जनमत का अभिप्राय समुदायों में प्रचलित उन विचारों और निर्णयों से है जिनका निर्माण बहुत कुछ निश्चयात्मक रूप से किया जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व पाया जाता है तथा जिनके निर्माता इन्हे इसलिए सामाजिक समझते हैं कि बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक निर्णयों का परिणाम है।"

जनमत सामाजिक नियंत्रण का यद्यपि अनौपचारिक साधन है फिर भी यदि इसका निर्माण सरकारी माध्यमों (जैसे—रेडियो, टेलीविजन आदि) द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या दल के हितों की पूर्ति या राष्ट्रीय कल्याण के लिए सुनियोजित रूप से किया जाता है तो इसमें औपचारिकता का अंश आ जाता है।

मतदान व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता रहता है, जैसे विकासीय नीति, धर्म, जाति, क्षेत्रीय मुद्दे आदि। चुनाव के समय मतदाता के मतदान व्यवहार पर अनेक क्यास लगाये जाने लगते हैं। राजनीतिक दलों की जय और पराजय इस बात पर निर्भर करती है कि मतदाता की राजनीतिक चेतना और मतदान व्यवहार को कौन से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। यह मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विकासीय, जातिगत, राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक आदि हो सकते हैं। ये मुद्दे भी समय, काल एवं परिस्थितियों में बंधे होते हैं।

जनमत के महत्वपूर्ण कारक: मतदाताओं की राजनीतिक चेतना और उनका मतदान व्यवहार जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। जनमत का शाब्दिक अर्थ 'जनता का मत' है जो कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि राज्य और समाज की सुव्यवस्था और शान्त वातावरण के लिए जनता का मतैक्य होना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के स्वाधीनता घोषणा पत्र (1776) तथा फ्रॉस की राज्य कान्ति (1789) के फलस्वरूप जनमत एक सशक्त माध्यम माना जाने लगा है। सुसंगठित समूहों के प्रादुर्भाव एवं औद्योगिक क्रान्ति ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है।

जिन्सबर्ग के अनुसार, "जनमत का अभिप्राय समुदायों में प्रचलित उन विचारों और निर्णयों से है जिनका निर्माण बहुत कुछ निश्चयात्मक रूप से किया जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व पाया जाता है तथा जिनके निर्माता इन्हे इसलिए सामाजिक समझते हैं कि बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक निर्णयों का परिणाम है।"

जनमत सामाजिक नियंत्रण का यद्यपि अनौपचारिक साधन है फिर भी यदि इसका निर्माण सरकारी माध्यमों (जैसे—रेडियो, टेलीविजन आदि) द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या दल के हितों की पूर्ति या राष्ट्रीय कल्याण के लिए सुनियोजित रूप से किया जाता है तो इसमें औपचारिकता का अंश आ जाता है।

मतदान व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता रहता है, जैसे विकासीय नीति, धर्म, जाति, क्षेत्रीय मुद्दे आदि। चुनाव के समय मतदाता के मतदान व्यवहार पर अनेक क्यास लगाये जाने लगते हैं। राजनीतिक दलों की जय और पराजय इस बात पर निर्भर करती है कि मतदाता की राजनीतिक चेतना और मतदान व्यवहार को कौन से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। यह मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विकासीय, जातिगत, राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक आदि हो सकते हैं। ये मुद्दे भी समय, काल एवं परिस्थितियों में बंधे होते हैं।

चुनाव के समय जहाँ प्रत्याशियों को यह चाह होती है कि येन-केन प्रकारेन विजय प्राप्त करें। वहीं मतदाता भी प्रत्याशियों को अपनी प्रत्याशा के काफी नजदीक देखना चाहता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सरकार जनता द्वारा चुन कर आती है। यह उस देश की जनता के राजनीतिक चेतना और मतदान व्यवहार पर निर्भर करता है कि किस दल की सरकार बनेगी। आज का मतदाता अपने बौद्धिक ज्ञान, स्वहित और मुद्दों में अलग-अलग बँटा हुआ है। जिन्हे विभिन्न दलों के रूप में देखा जा सकता है।

भारतीय राजनीति की सर्वोच्च संस्था 'संसद' का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक राजनीतिक अभियान की तरह सम्पन्न किया जाता है। पिछले कुछ चुनाव में सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक जागरूकता को और भी रोचक बना दिया है। सर्वप्रथम 1977 में हुए छठे आम चुनाव पर प्रकाश डालते हैं। जिसे कुछ राजनीतिक पंडितों ने दूसरी क्रान्ति कहा है। क्योंकि राष्ट्र में पहली बार केन्द्र में कॉग्रेस सरकार का पतन हुआ और कॉग्रेस सरकार को पहली बार लोकसभा में विरोधी दल की भूमिका निभानी पड़ी। तथा विपक्षी दल जनता पार्टी की सर्वप्रथम केन्द्र में सरकार बनी जिसको चुनाव में भारी सफलता मिली थी। इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार थे— परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में ज्यादतियाँ, मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का दमन, विरोधी दलों द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना, एवं कुशल चुनाव व्यूह-रचना करना तथा कॉग्रेस में गुटबंदी आदि कॉग्रेस की हार के प्रमुख लक्षण थे।

तत्पश्चात् 11वीं लोक सभा चुनाव (1996) का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि त्रिशंकु लोकसभा उभरकर सामने आ रही है। और यहीं से त्रिशंकु लोकसभा का प्रारम्भ हुआ है। 1996 के बाद 1998 में सम्पन्न द्वादश आम चुनाव में भी खण्डित जनादेश देखने को मिला। परिणाम स्वरूप मध्यावधि चुनाव (1999) कराना पड़ा था। तेरहवीं लोकसभा ने सहमति और अन्तर्विरोधों के स्वर के साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया जिस दौरान राजनीतिक स्थिरता तो दिखी परन्तु न्यूनतम साझा कार्यक्रम की परिधि ने चौमुखी विकास के विस्तार और अहं, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय नीति को बाधित किया। और इन्हीं परिस्थितियों में चौदहवीं लोक सभा का आम चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें मतदाताओं की राजनीतिक चेतना और मतदान व्यवहार निर्णायक कारक के रूप में क्रियाशील हैं। बढ़ती साक्षरता, मैंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, क्षेत्रीय असंतुलन, साम्रादायिक दंगे, धार्मिक विस्मरसता आदि ने मतदाताओं को राजनीतिक प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित किया है। इसी समुच्चय के सन्दर्भ में वर्तमान अध्ययन 'मतदाताओं के राजनीतिक चेतना एवं मतदान व्यवहार के विश्लेषण में सन्निहित है।'

भारत में राजनीतिक चेतना एवं मतदान व्यवहार :

मतदान व्यवहार और जनमत:- "किसी विचाराधीन समस्या के प्रति किसी जन समुदाय के अधिसंख्या भाग की प्रमापन योग्य तथ्यात्मक साक्ष्यों पर आधारित मनोवृति को जनमत कहते हैं। इसमें चिन्तन, विश्लेषण और तार्किकता की तीनों विशेषताओं के कुछ अंश सन्निहित होते हैं। जन भावना और जनमत में अन्तर है। जन भावना पूर्णतः मनोवेगों की उपज होती है। इसमें पर्याप्त तथ्यात्मक साक्ष्यों का होना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत जनमत में आंशिक तौर पर विचारणा या बुद्धि का तत्त्व विद्यमान होता है। प्रचार करने वाले गास्तव में, जनता की अपेक्षा जन भावनाओं को ही अधिक उभारने का प्रयास करते हैं।

जनमत की प्रमुख विशेषताएँ :

1. जनमत का सम्बन्ध किसी सार्वजनिक विषय या समस्या से होता है।
2. जनमत की उत्पत्ति सामूहिक आधार पर होती है।
3. जनमत समाज के अधिक सक्रिय सदस्यों की उत्तेजना के प्रति, कम सक्रिय सदस्यों की प्रतिक्रियाओं से बनता है। यद्यपि ये प्रतिक्रियाएँ बहुत ही भिन्न-भिन्न स्वरूप की होती हैं। जनमत कोई स्थिर धारणा नहीं है। इसका विचार एक निश्चित समय के सन्दर्भ में ही करना चाहिए।



5. जिन्सबर्ग के अनुसार जनमत एक सामाजिक उपज होती है और कई मनों की परस्पर किया से उत्पन्न होती है फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि जनमत तर्कपूर्ण ही हो।
6. यद्यपि जनमत किसी भी जनता का सर्वमान्य मत नहीं होता, फिर भी इस मत में सम्पूर्ण जनता को क्रियाशील बनाने की शक्ति होती है।
7. जनमत जनता में प्रचलित विश्वासों, मान्य आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, स्थायी भावों और स्थापित पक्षपातों के आधार पर विकसित, स्थापित और प्रसारित होता है। संक्षेप में, प्रत्येक जनमत का एक सांस्कृतिक आधार होता है। और उसी के आधार पर वह फलता—फूलता और विकसित होता है।
8. जनमत सदैव वाद—विवाद के पश्चात् पारस्परिक मतअनुकूलन के आधार पर बनता है, अर्थात् विचारधाराओं के जो भी महत्वपूर्ण, लाभदायक व आवश्यक अंग होते हैं, जनमत में वे आत्मसात कर लिए जाते हैं।
9. जनमत की स्थापना पर प्रायः समाज के प्रतिष्ठित, प्रभुता सम्पन्न और शक्ति—प्राप्त वर्गों की रुचियों, हितों और उद्देश्यों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

शोध निष्कर्षः

समाज—वैज्ञानिकों ने प्रारम्भ से ही राजनीति में सामाजिक संरचना एवं परम्परागत सामाजिक संस्थाओं की भूमिका के अध्ययन में रुचि ली है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तथा जातिगत मुद्दों के आधार पर मतदानव्यवहार को काफी भारी मात्रा में प्रभावित किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में सभी जातियों एवं सम्प्रदायों के लोगों ने जब समान रूप से योगदान दिया, तब ऐसा लगता था कि स्वतंत्रता के पश्चात् जाति व्यवस्था तथा इसकी सबसे बड़ी कुरीति जातिवाद का प्रभाव कम हो जाएगा। परन्तु इसके विपरीत स्वतंत्रता के बाद जातिवाद ने फिर से जोर पकड़ा और जातिवाद राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा। भारत में जाति एवं राजनीति का विषय सर्वाधिक वाद—विवाद का विषय रहा है तथा विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में जातिवाद के साथ—साथ परिवारवाद भी एवं राजनीति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। **निष्कर्षः** यह कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जाति वाद के साथ—साथ परिवार वाद आज के सन्दर्भ में मतदान को प्रभावित करता है। इसके साथ—साथ अनेकों कारक हैं जैसे प्रलोभन के रूप में शाराब, पैसा, साड़ी, कम्बल आदि जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. श्रीनिवास, एम.एन., "ए कास्ट डिस्प्यूट अमना वाशर मैन ऑफ मैसूर" इन ईस्टर्न ऐथ्रोपोलोजिस्ट, 1954
2. 'दि डॉमिनेन्ट कास्ट न रामपुरा' इनअमेरिकन ऐथ्रोपोलोजिस्ट, 1959,61 (1); तथा "कास्ट इन मॉर्डन इण्डिया एण्ड अदर एसेज", बम्बई : एशिया पालिशिंग हाउस, 1962,
3. पारसंस, तालकट, दी सोसल सिस्टम, 1970 पृ० 5–61।
4. ईस्टन, डेविड 'द कंटट मिनींग ऑफ विटे वियरीलिजम' इन जेम्स सी. चाल्स वर्थ (सपा.) कन्टेयरेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, न्यूयार्क दी फ़ी प्रेस, 1965, पृ० 11–31।
5. अहमद, इस्तियाज, क्वॉटेड फ़ॉम गोविन्दराम वर्मा, "भारतीय राजनीति और शासन", नई दिल्ली : 1978, पृष्ठ 487।
6. कुरुक्षेत्र पत्रिका के विभिन्न अंक।
7. योजना पत्रिका के विभिन्न अंक।